

19-12-19

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवज दिखवाई गई परन्तु पत्रों की मरम्मत से पैरवी हुए कोर्ट भी उपायकेत नहीं है, न्यायालय का समय समाप्त होने का है अतः पत्रों का अदम एजरी एवं अदम पैरवी में पत्रों का वाद खारिज किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से काम हो। मादेश सुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप सफ्त अधिकारी
चौधर लंक

Web Copy - Not Official